

--शुद्धि पत्र--

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 73 दिनांक 30-06-2025 में निम्नलिखित शुद्धियों की जाती हैं-

1. अनुलग्नक 'ग' के क्रमांक 6 के स्तम्भ 2 की प्रविष्टि सं० 13' लखनऊ-ए' के सापेक्ष स्तम्भ -4 की प्रविष्टि 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 3 खण्ड' के स्थान पर 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 3 खण्ड।' पढ़ा एवं समझा जाये।
2. अनुलग्नक 'ग' के क्रमांक 6 के स्तम्भ 2 की प्रविष्टि सं० 14' लखनऊ-बी' के सापेक्ष स्तम्भ -4 की प्रविष्टि 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-6 से 10 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 4 खण्ड' के स्थान पर 'लखनऊ मण्डल के खण्ड-8 से 13 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 4 खण्ड' पढ़ा एवं समझा जाये।
3. अनुलग्नक 'ग' के क्रमांक 7 के स्तम्भ-2 की प्रविष्टि सं० 15' लखनऊ-सी' के सापेक्ष स्तम्भ-4 की प्रविष्टि लखनऊ मण्डल के खण्ड-11 से 23 तक के स्थान पर लखनऊ मण्डल के खण्ड-14 से 23 तक' पढ़ा एवं समझा जाये।

आदेश संख्या 73 दिनांक 30-06-2025 के शेष प्रावधान यथावत बने रहेंगे।

Digitally signed by

NITIN BANSAL

Date: 02-07-2025

14:49:09
(डॉ० नितिन बैसल)

आयुक्त, राज्य कर

उत्तर प्रदेश।

पृ०पत्रसं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर उ०प्र० शासन।
2. प्रिंसिपल चीफ कमिशनर, सी०जी०एस०टी०, उ०प्र०।
3. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, लखनऊ।
5. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्य)/(वि०अनु०शा०)/(का०नि०)कारपोरेट सर्किल / उच्च न्याया०(कार्य)/ सर्वोच्च न्याया०(कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर।
10. समस्त उपायुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर।

Digitally signed by
AMAR NATH YADAV
Date: 02-07-2025
15:43:39

(अमर नाथ यादव)
अपर आयुक्त ग्रेड-1(विधि/जी०एस०टी०),
राज्य कर उत्तर प्रदेश।